दौरान हुई गम्भीर साम्प्रदायिक दंगों की घटनायें निम्न प्रकार से है :-

राज्य का नाम और तारीख	मारे गए व्यक्ति	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
1. **आंध्र प्रदेश**		
हैदराबाद (22-28 सितम्बर, 1991)	5	120
2. **बिहार**		
(चक्रधरपुर जिला सिंहभूम) (8 अगस्त 1991)	5	2
3. **गुजरात**		
भड़ौच (23-24 जुलाई, 1991)	4	54
जम्बूसर (23-24 जुलाई, 1991)	3	76
बड़ौदा (23-24 जुलाई 1991)	9	87
अहमदाबाद (1-6 जनवरी 1992)	6	37
4. **उत्तर प्रदेश**		
वाराणसी (8-15 नवम्बर, 1991)	17	617
हापुड़ (जिला गाजियाबाद) (13-15 फरवरी, 1992)	9	54
कुल	58	1047

लोक व्यवस्था बनाए रखना संविधान की सूची -II- राज्य सूची में सम्मिलित है इसलिए मारे गए, बेघर हुए और शारीरिक रूप से अपंग हुए व्यक्ति की संख्या के बारे में सूचना रखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि केन्द्र सरकार ने, साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें साम्प्रदायिक दंगों से निपटने और साम्प्रदायिक शांति और सद्भाव बनाए रखने से संबंधित विभिन्न मामले सम्मिलित है।

कर्णाटक में दंगों से हुई मौतें

2118. **श्री अनन्तराम जायसवाल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कावेरी जल विवाद को लेकर कर्णाटक में हुए दंगों में कितने व्यक्ति मारे गए, कितने घायल हुए तथा कितने मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हुई;

(ख) क्या इस मामले की कोई न्यायिक जांच की गई थी, यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष है;

(ग) यदि जांच अभी पूरी नहीं हुई है, तो इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) उपयुक्त जांच के विचारार्थ विषय क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) से (घ) : कर्नाटक सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

Centre-State Relations

2119 SHRI SHIV PRATAP MISHRA Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state.

(a) whether Government have formulated .any new policy to guide centre- state relations, where states are likely to play an important role in advising centre; and

(b) if so the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M.M. JACOB) : (a) and (b) The Government appointed a Commission under the Chairmanship of Justice R.S. Sarkaria in 1983 to examine and review the working of the existing arrangements between the Centre and the States in regard to powers, functions and responsibilities in all spheres and recommend such changes or measures as may be appropriate. The Commission submitted its report in October, 1987. A Subcommittee of the Inter State Council is examining the recommendations of the Commission. The Inter State Council will, thereafter, consider the recommendations. Three meeetings of the Sub-Committee have already been held